जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्र0/जीविवि/परीक्षा–2/गोपनीय/2014/368 दिनांक 01.05.2014

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या/वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष,
समस्त असंस्थागत सम्बद्ध महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म0प्र0)

विषयः– आपके महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र पर विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं को संचालित किये जाने के सम्बंध में आवश्यक विशिष्ट दिशा निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति के द्वारा आपके महाविद्यालय को विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्र बनाया गया है।

विश्वविद्यायीन परीक्षाओं को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु आप निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन कर परीक्षा अत्यावश्यक कार्य में सहयोग प्रदान करेंः–

1. यह की वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे की परीक्षा केन्द्र पर परीक्षायें पूर्ण रूप से निष्पक्ष एवं नियमानुसार संचालित हों।
2. यह की आप अपने महाविद्यालय के परीक्षा कक्षों में एवं परीक्षा नियंत्रण कक्ष में, जहाँ प्रश्न–पत्र रखे जाते है। और वीक्षकों को प्रदाय किये जाते है। उन सभी स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरें अनिवार्य रूप से लगवाये।
3. यह की परीक्षा केन्द्र के प्रभारी का यह दायित्व होगा की वह प्रत्येक परीक्षा तिथि का सी0सी0टी0वी0 फुटेज संधारित करे। और जब भी विश्वविद्यालय द्वारा माँग की जाये तो उसे तत्काल प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर उक्त परीक्षा केन्द्र को निरस्त कर दिया जावेगा।
4. <u>यह की यदि महाविद्यालय द्वारा सी0सी0टी0वी कैमरे नहीं लगाये गये, तो इस स्थिति में उक्त महाविद्यालय का परीक्षा केन्द्र निरस्त कर दिया जायेगा, और आगे आने वाली परीक्षाओं में उक्त महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर भी विचार नहीं किया जायेगा।</u>
5. यह की आप अपने महाविद्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने के 10 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से सी0सी0टी0वी0 कैमरें स्थापित करायें। और उसकी जानकारी आवश्यक रूप से 12 मई 2014 तक विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

6. यह की आपके परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा संचालन हेतु यदि पर्याप्त संख्या में वीक्षकगण उपलब्ध नहीं है। तो आप उन महाविद्यालयों के 28/17 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों को अपने परीक्षा केन्द्र पर वीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकते है, जिन महाविद्यालयों के छात्र आपके महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित हो रहे है। लेकिन यह ध्यान रहे की ऐसे शिक्षकों की ड्यूटी उन परीक्षा कक्षों में न लगाई जाये जहाँ पर उनके महाविद्यालय के छात्र परीक्षा दे रहे है।

7. यह की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में आपके परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा तिथियों में वीक्षण कार्य एवं परीक्षा टीम के सदस्यों का पूर्ण अभिलेख संधारित किया जाये, और परीक्षा समाप्ति के पश्चात् उसकी एक फोटो प्रति विश्वविद्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

8. आप यह सुनिश्चित करें कि प्रतिदिन सम्पादित होने वाली परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल आवश्यक रूप से जिले के शासकीय महाविद्यालय में उसी दिन जमा करायें।

9. आप यह भी सुनिश्चित करें, कि आपके परीक्षा केन्द्र पर यदि कोई छात्र अण्डरटेकिंग के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, तो अन्तिम प्रश्न–पत्र के पूर्व उसके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भर कर विश्वविद्यालय को प्रेषित किया है।

10. यह की विश्वविद्यालयीन परीक्षा समाप्ति के 07 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से छात्रों के उपस्थिति पत्रक (केन्द्र प्रपत्र) विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जायें।

11. आप यह सुनिश्चित करें, कि उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डलों पर परीक्षा की तिथि,विषय कोड, विषय का नाम, कक्षा का नाम, कुल उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या,परीक्षा केन्द्र की सील, केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से लिखे गये हों।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
2. अतिरिक्त संचालक, ग्वालियर–चम्बल संभाग, मोतीमहल, ग्वालियर।
3. उप–कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), जीवाजी वि.वि., ग्वालियर।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलसचिव के गोपनीय/निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. इंचार्ज, पूछताछ कक्ष, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
8. सूचना पटल पर चस्पा किये जाने बावत्।

परीक्षा नियंत्रक